IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में मातृभाषा में शिक्षा की प्रासगिकता का मूल्यांकन

(Evaluation of the relevane of education in mother tongue in the education philosophy of - mahatma Gandhi)

प्राचार्य

डॉ राघवेंद्र दीक्षित

महाराणा प्रताप शिक्षण शिक्षण महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर (राजस्थान)

मातृभाषा (Mother tongue)

जन्म से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है मातृभाषा ही हमारी पहचान होती है जो हमें हमारी संस्कृति से जुड़े होने का एहसास कराती है, मातृभाषा ही है जो हमें गर्व के साथ रुचियां, समाज से जुड़े होने, भावों को व्यक्त करने, राष्ट्र और समाज का मार्ग प्रषस्त करने के साथ–साथ व्यापक रूप से व्यवहार में लाकर संस्कारों का ज्ञान करती है। मातृभाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाकर उसे व्यवहारिकता प्रदान करती है। मातृभाषा अभिव्यक्ति का संचार माध्यम ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहिका भी है। मातृभाषा से ही व्यक्ति ज्ञान को उसके आदर्श रूप से आत्मासात कर पाता है। भाषा से ही सभ्यता एवं संस्कृति पुष्पित, पल्लवित और सुवासित होती है। शिक्षा में मातृभाषा का विशेष महत्व है। एक जर्मन बालक अपनी मातृभाषा जर्मन में ही गणित सीखता है, ना कि अंग्रेजी में, क्योंकि जर्मन उसकी मातृभाषा है, इसी प्रकार इटली का बालक गिनती इटालियन भाषा में स्पेन का बालक स्पेनिश भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है ना की अंग्रेजी भाषा में। भारत में भी प्राचीन समय में शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती थी लेकिन भारत में अब इसका स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया है जो कि भारत की मातृभाषा ना होकर एक विदेशी भाषा है। साथ ही षडयंत्र पूर्वक अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भाषा है यही कारण है कि वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त शिक्षा को उच्च कोटि का माना जाता है जबकि भारतीय परंपरागत भाषाओं में प्राप्त शिक्षाओं को निम्न स्तर पर समझा जाता है। इतना ही नहीं अंग्रेजी में शिक्षित बच्चे खेल में भी अपनी मातृभाषा को निम्न कोटि का मान कर उसके लिए "नाकामयाबी" (thumbs down) का संकेत मानते हैं जबकि अंग्रेजी के लिए सम्मानजनक (Thumbs-up) का संकेत प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से पल्लवित एवं पोषित बालक के मन में अंग्रेजी शिक्षा उसके अंतःकरण तक बसी हुई है जिसे वह स्वयं और समाज उच्च कोटि का मानता है। **स्वामीनाथन अच्चर** के अनुसार **"बालक के लिए सबसे सरल भाषा वही है जो उसके घर में बोली जाती है, यही उनकी मातृभाषा है। भारत में हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाये मातृभाषाऐ ही है।"** मातृभाषा का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष **21 फरवरी** को **"अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस"** मनाया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार– **"मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चों के विकास के लिए मां का दूध"** भारतीय शिक्षा शास्त्रीय जैसे **आद्य शंकराचार्य,** स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, रविंद्र नाथ ठाकुर आदि ने मातृभाषा में शिक्षा की स्वीकृति दी है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए तमाम बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद्वानों का भी यही मानना है लेकिन इन सभी की बातों को दरकिनार करके सरकारों ने कक्षा एक से ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया जिससे बालको पर न केवल एक विदेशी भाषा को जबरन थोपा गया बल्कि

मातृभाषाओं की अपेक्षा भी सिद्ध कर दी जबकि यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है की मातृभाषा में शिक्षा बालक उन्मुक्त विकास में ज्यादा कारगर होती है।

शब्द कुंजी (Keyword):- मातृभाषा, प्रासंगिकता, मूल्यांकन, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा

मातृभाषा और महात्मा गांधी **(Mother tongue and mahatma Gandhi)**

महात्मा गांधी बालक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे, लेकिन भारतवर्ष में लगभग 179 भाषायें एवं 544 बोलियां है। इतनी अधिक भाषा एवं बोलियों में अलग–अलग शिक्षा देने से राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। अस्तु गांधीजी देश में एक अखिल भारतीय भाषा का प्रचार प्रसार करना आवश्यक मानते थे उनका मानना था कि अखिल भारतीय भाषा का स्थान अंग्रेजी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह न केवल विदेशी भाषा है बल्कि षडयंत्र पूर्वक जबरन थोपी गई भाषा है। गांधी जी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। लेकिन गांधी जी अंग्रेजी के महत्व से भी भली भांति परिचित थे उनका मानना था की अंग्रेजी का अध्ययन के बिना पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए वह अंग्रेजी को पूरी तरह से देश से निकाले जाने के पक्ष में नहीं थे। अन्य समकालीन शिक्षा दार्शनिकों की तरह उन्होंने यह माना कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए और उन सब लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए जिनका विदेशियों से संपर्क होता है और वह पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को जानना चाहते हैं

गांधी जी का मातृभाषा के साथ–साथ राष्ट्रीय भाषा के संबंध में भी यह विचार था कि हिंदी एवं उर्दू के समन्वय से हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा का निर्माण किया जाए जिसको भारत के अधिकांश व्यक्ति समझते हैं राष्ट्रीय भाषा में संस्कृत अथवा फारसी के कठिन शब्दों को भरने के वे विरुद्ध थे। अंग्रेजी को वह बाहरी भाषा मानते थे उनका मानना था कि हम विदेशी भाषा के माध्यम से विदेशी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं जिसका भारतवर्ष की धरती से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है गांधी जी का यह भी मानना था कि **"हमारे विद्यार्थी विदेशो में शिक्षा ग्रहण के लिए जाए इसका समर्थन में कभी नहीं कर रहा हूं, मेरा अनुभव मुझे बताता है ऐसे लोग शिक्षा ग्रहण कर लौटने पर "गोल सुराग में चौकोर खूंटी" जैसे हो जाते हैं वे लौटकर यहां के वातावरण में फिट नहीं हो पाते जो अनुभव देश की शिक्षा से मिलता है वही उत्तम और उन्नति में सबसे अधिक सहायक होता है।"** गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में एवं उच्च शिक्षा हिंदुस्तानी भाषओ (जिसमें हिंदी एवं उर्दू शामिल है) के साथ सहायक के रूप में अंग्रेजी में दिए जाने के पक्ष व थे साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी मैं शिक्षा ग्रहण करना उन्हें स्वीकार था। महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पूर्णतः मातृभाषा पर आधारित थी उनका मानना था कि बुनियादी शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में ही प्रदान की जाए गांधी जी ने **"हिंदू स्वराज"** में लिखा है– **"प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीय हिंदू को संस्कृत का मुसलमान को अरबी का पारसी को फारसी का और हिंदी का सबको ज्ञान होना चाहिए सारे भारत के लिए जो भाषा है वह तो हिंदी ही होगी"** यद्यपि वह प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देना उचित मानते थे क्योंकि इसके बिना उनका सर्वागीण विकास नहीं हो सकता। कहीं–कहीं तो उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं का इतना समर्थन किया है कि ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को नहीं बल्कि प्रादेशिक भाषाओं को ही लाना चाहते हैं यह बात विशेष रूप से दक्षिण भारत के प्रदेशों पर लागू होती है।

महात्मा गांधी **प्राथमिक शिक्षा** या **बुनियादी शिक्षा** जिसे **नई तालीम** के नाम से भी जाना जाता है को मातृभाषा में दिए जाने के समर्थक थे उनका मानना था की मातृभाषा द्वारा प्राप्त शिक्षा से ही बालक का बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, चरित्रिक, आध्यात्मिक, सर्वागीण विकास संभव है मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करके ही बालक स्वावलंबी बन सकता है और उससे अपने समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकता है अंग्रेजी भाषा के बारे में उनका मानना था कि **"जो शिक्षा उलझन में डालती हैं और अस्पष्टता प्रदान करती है वह किसी काम नहीं"** गांधी का मानना था कि मुझे अंग्रेजी भाषा से बैर नहीं है इस भाषा का भंडार अटूट है और ज्ञान की निधि से भरी पूरी है फिर भी मेरी राय में भारत के सभी लोगों को इसे सीखने की जरूरत नहीं है। यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा सिद्धांत यह रहे की अंग्रेजी के जरिए ही हम अपने उच्च विचार प्रकट कर सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदा के लिए गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषा में हमारे सारे विचार प्रकट करने की शक्ति नहीं आ जाती और जब तक वैज्ञानिक विषय मातृभाषा में नहीं समझाये जाते तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा।

मातृभाषा पर विद्वानों की राय (Opinion of scholars on Mother tongue)

महात्मा गांधी जी बालक के समग्र विकास पर जोर देते हैं और उनका मानना था कि यह समग्र विकास केवल मातृभाषा से ही संभव है **उपराष्ट्रपति श्री बैकैंया नायडू** ने **4 जनवरी 2022** को अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि **"महात्मा गांधी ने मातृभाषा को स्वराज से जोड़ा था और आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी का अनुसरण करती है।"** इसी प्रकार **यूनिसेफ** इंडिया के अनुसार– **"साक्ष्य बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षण और सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की मजबूत नीव बनाता हैं संचार कौशल में सुधार करता है और बच्चे के सीखने के माहौल के बीच भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करता है और बच्चे के आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।" यूनेस्को** का भी मानना है कि– **"शोध से पता चलता है कि मातृभाषा में शिक्षा समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है और यह सीखने के परिणाम और शैक्षिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है।"** अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस **21 फरवरी 2023** के अवसर पर **"पंचजन्य"** लिखता है **"अनेक शोधों एवं अनुसंधान से यह स्पष्ट है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने से उनका बौद्धिक विकास होता है उनमें विचार एवं चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है।" गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 26 अक्टूबर 2022 को कहा कि "मोदी सरकार द्वारा प्रवर्तित नई शिक्षा नीति 2020 बापू की सोच के अनुरूप है जिसमें प्राथमिक से लेकर तकनीकी और मेडिकल शिक्षा तक को मातृभाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।"** इसी प्रकार **3 दिसंबर 2020** को तत्कालीन **शिक्षा मंत्री** ने छात्रों को मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक कार्य दल का भी गठन किया। इस प्रकार हम यहां पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं कि शिक्षा में मातृभाषा का बहुमूल्य योगदान है मातृभाषा में शिक्षा पाकर ही बालक राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकता है।

मातृभाषा के संबंध में संवैधानिक विधिक एवं संगठनांमक प्रयास (Constitutional, legal and organizational efforts regarding mother tongue)

भारत के संविधान के अंतर्गत भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं उदाहरण के लिए **अनुच्छेद 29(1)** भाषाई अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करने का अधिकार देता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्याय **Vth** की धारा **29(f)** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। इसी प्रकार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350B सहित अनुच्छेद 120** संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध उल्लेख करती है संसद में संसदीय सदस्यता को हिंदी या भाषा के उपयोग का प्रावधान है लेकिन साथ ही संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार भी प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग XVII, के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक पांडुलिपि से संबंधित है। इसी प्रकार संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया है इसके अलावा भी संविधान में अनेकों प्रावधान षिक्षा मे मातृभाषा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। इसके अलावा समय–समय पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सरकारी पहल की गई है, हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत भाषाओं के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए अलग–अलग संगठन है, द्विभाषा वाले साहित्य में पाठ्य पुस्तक अपनाने का प्रयास, AICTE द्वारा अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को **11 भारतीय भाषाओं** में अनुवाद करने के लिए एक टूल विकसित किया गया है, JEE और NEET परीक्षाएं **13 भारतीय भाषाओं** में आयोजित की जाती है, AICTE ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब तक **10 राज्यों के 19 संस्थानों** ने ऐसे पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए **"दीक्षा पोर्टल"** विकसित किया गया है जिसमें **33 भाषाऐं** उपलब्ध है। इसी प्रकार **भारतीय विद्यिज्ञ परिषद** द्वारा **ऑल इंडिया बार एग्जाम** (AIBE) को **12 भारतीय भाषाओं** में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर सर्वोच्चन्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अब तक के तमाम निर्णयो का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवा कर उन्हें देश की जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया है इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी के मातृभाषा के संबंध में जो विचार थे वह वर्तमान परिवेश में भी प्रासंगिक है जिनका समर्थन समकालीन शिक्षा शास्त्री शिक्षा विचारक एवं विद्वानों से लेकर वर्तमान शिक्षा शास्त्री, सरकार, अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भी करते हैं।

वर्तमान शिक्षा (Present education)

गांधी जी के मातृभाषा में शिक्षा संबंधी विचार पहले भी प्रांसगिक थे आज भी प्रांसगिक है लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर तमाम सरकारों ने इन्हें पूरी तरह से लागू करने में उदासीनता ही दिखलाई है परिणाम स्वरुप देश में कान्वेंट स्कूल एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना श्रेष्ठता एवं उच्चता का प्रतीक माना जाता है हिंदी या मातृभाषा में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं विद्यार्थियों को हीन भावना से देखा जाता है यदि एक शिक्षित व्यक्ति अंग्रेजी नहीं आई तो यह हीनता या निम्नता का प्रतीक है और यदि एक शिक्षित व्यक्ति को हिंदी नहीं आती अंग्रेजी आती है तो उसको गर्व का विषय मानकर श्रेष्ठ माना जाता है अब समय आ चुका है कि शिक्षा में मातृभाषा को पर्याप्त स्थान मिले और एक संतुलन स्थापित किया जाए जो किसी को ऊंचा या नीचा ना दिखाया जाए। यदि तटस्थ होकर गौर किया जाए तो जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पर्याप्त स्थान मिलना शुरू हुआ है मातृभाषा को भी शिक्षा के क्षेत्र पूर्ण सम्मान दिया गया है इसी क्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा द्वारा शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है क्योंकि मोदी सरकार से पूरे देश में लागू करने के साथ–साथ इसके निष्पादन एवं क्रियान्वयन पर विशेष जोर दे रही है और इसे लागू करने में राज्यों के साथ सामजस्य विठाने का कार्य भी कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा (National education policy 2020 and mother tongue)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालकों को उनकी मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा का समर्थन करती है इतना ही नहीं तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा को भी मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान है। **गृह मंत्री श्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव** पर बोलते हुए कहा की **"मातृभाषा में शिक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है मोदी जी द्वारा लागू की गई नई षिक्षा नीति बापू की सोच के अनुरूप है।" कन्हैया लाल झा 25 फरवरी 2022 को जागरण में लिखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारतीय भाषाओं में अधिक बाल साहित्य एवं पाठ्य पुस्तक तैयार करने की आवश्यकता है।"** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक का शिक्षण कार्य मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही हो साथ ही मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए और यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा के लिए त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया गया है इसके अंतर्गत राज्यों में इस फार्मूला को लागू किया जा सकता है **(i) हिंदी, भाषी राज्यों में हिंदी अंग्रेजी और भारतीय आधुनिक भाषा और गैर हिंदी भाषी राज्यों में (ii) हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा** इसके अतिरिक्त **संस्कृत** को भी एन0 ई0 पी0 के अंतर्गत महत्ता प्रदान की गई है उच्च शिक्षा संस्थानों में भी मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का प्रावधान है इसके साथ ही ई–पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने का प्रावधान है। **शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान** ने कहा है कि **मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को शिक्षा पाठ्यक्रम में पर्याप्त स्थान दिया गया है। 29 जुलाई 2020** को अपडेट किए गए बीबीसी पोर्टल से कहा गया है कि **नई शिक्षा नीति में मातृभाषा द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे करोडों बच्चों दोबारा स्कूल की मुख्य धारा में आएंगे।" 30 जुलाई 2023 का अमर उजाला** समाचार पत्र लिखता है कि **शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे हो गए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस ज्ञान महाकुंभ में भाग ले रहे हैं क्योंकि एन0 ई0 पी0 ने मातृभाषा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।" 2 जनवरी 2025 को हिंदुस्तान न्यूज़** नई दिल्ली **पंकज विजय** जानकारी देते हैं की **नई शिक्षा नीति में इंजीनियरिगं पाठ्यक्रम और चिकित्सा पाठ्यक्रम अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है बीटेक एवं एमबीबीएस की किताबें हिंदी में आ चुकी है** हिंदी माध्यम से बीटेक कोर्स कई संस्थानों में शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं मातृभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपी ताले की मातृभाषा एक चाबी की तरह है इसमें न केवल मातृभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं बल्कि उनको प्रासंगिक भी बनाया गया है यदि इसको शिद्दत के साथ लागू कर दिया जाए तो इसके परिणाम बेहतर होंगे ऐसा प्रतीत होता है की मातृभाषा में शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल आधार है यही महात्मा गांधी के सपनों की शिक्षा की रूपरेखा है।

मूल्यांकन (evaluation)

उपरोक्त तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी के मातृभाषा में शिक्षा के संबंध में विचार एकदम स्पष्ट थे शिक्षा के परंपरागत ढांचे से वे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वह कार्य कुशलता की क्षमता प्रदान नहीं करता उनके अनुसार एक प्रकार से हम विदेशी भाषाओं के माध्यम से विदेशी संस्कृति का अध्ययन कर भाषाओं के माध्यम से विदेशी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं जिसका इस धरती के साथ दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी के सामने एक

ही उद्देश्य स्पष्ट होता है वह है नौकरी भारतीय शिक्षा का वर्तमान स्वरूप अपने मूलभूत उद्देश्य से भटका हुआ है ऐसा उनका मानना था गांधी जी का यह भी मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने तक गांधी जी की मातृभाषा में शिक्षा के विचार की पूरी तरह अनदेखी की गई हैतमाम संवैधानिक प्रावधान और नियम बनाए जाने के बावजूद विदेशी भाषा में शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को अधिक महत्व दिया गया है लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के आने से मातृभाषा में शिक्षा की उम्मीद जागृत हुई है इस नीति के द्वारा मातृभाषा में शिक्षा के गांधी जी के विचार को साकार किए जाने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं बस इसका क्रियान्वयन उचित प्रकार हो जाए ताकि मातृभाषा में शिक्षा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके यही बापू का सपना था। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी मातृभाषा में शिक्षा देकर बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ शिक्षा को अंतराष्ट्रीय स्तर पर वैष्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप भी बनाना है। अब तक मातृभाषा में शिक्षा एक सूखी नदी के सामान थी। नई शिक्षा नीति से सूखी नदी में मातृभाषा रुपी पानी आ गया है और इस नीति का क्रियावंयन पानी की मात्रा प्रदान करके नदी को मूल स्वरूप प्रदान होगा साथ ही नदी के आसपास की जमीन एवं खेत हरे भरे होंगे और फसल भी लहलहाएगी जो कि वर्तमान सरकार का समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए उठाया गया सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कदम है।

सुझाव (Suggestion)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच अधिक से अधिक सामजस्य बिठाया जाए साथ ही प्राथमिक शिक्षा के क्रियावायन की सारी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर छोड़ दी जाए केंद्र सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए।

2. भारत एक भौगोलिक विभिन्नताओं एवं विभिन्न भाषा, कला, संस्कृतियों वाला देश है अंतःर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और अधिक सार्थक परिणाम लाने के लिए यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता हो तो उसमें तुरंत संशोधन करके क्षेत्रीय भाषा, कला एवं संस्कृति के अनुरूप बनाया जाए।

3. शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैंइसीलिए राज्य सरकार शिक्षा के संबंध में ऐसा कोई कानून न बनाऐ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के विपरीत हो।

सन्दर्भ सूची

1. डा0 रामनाथ शर्मा एवं डॉ राजेंद्र कुमार शर्मा ——— शिक्षा दर्शन (1996)
2. डा0 देवीदत्त पंत एवं डॉ लक्ष्मण सिंह बिष्ट ——— गांधी संदर्भ (2004)
3. डॉ0 सौम्या नैयर ——— गांधी जी के शिक्षा दर्शन की प्रसागिकता वर्तमान परिपेक्ष्य में
4. डॉ0 गिरीश पचौरी ——— उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक
5. डॉ बसंती लाल बाबेल ——— भारत का संविधान (2022)
6. डा0 जय नारायण पांडे ——— भारत का संविधान (2018)
7. डॉ दिनेश कुमार मिश्र ——— मातृभाषा में शिक्षा, (जागरण 11 सितंबर 2021)
8. महात्मा गांधी ——— "शिक्षा का उद्देश्य" (भाषण का अंश)
9. "प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का महत्व" विजय सिंह माली (21 फरवरी 2023)
10. "मातृभाषा का महत्व" (https://www.artofliving.org)
11. उपराष्ट्रपति सचिवालय (https://pib.gov.in)
12. प्रो0 कृष्ण कुमार गोस्वामी देशबंधु 1 अप्रैल 2018 (https://www.deshbandhu.co.in)
13. मातृभाषा आधारित शिक्षा क्यों आवश्यक है ——— यूनेस्को, (अंतिम अपडेट 20 अप्रैल 2023) (https://www.unesco.org)
14. मातृभाषा में सिखाना शिक्षा की सर्वोत्तम शुरुआत ——— यूनिसेफ इंडिया (21 फरवरी 2024) (https://www.unicef.org)
15. भारत में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी (21 अगस्त 2023 https://www.acadectraft.com)
16. आजादी का अमृत महोत्सव, शिक्षा मंत्रालय (9 जुलाई 2024 pib.gov.in)
17. "महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की प्रासगिकता" ——— रीना शर्मा, रावत

18. "पांचवी क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई" ———— नई शिक्षा नीति 2020, https://www.BBc.com
19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ———— मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार https://www.education.gov.in
20. https://brainly.in
21. https://rajbhasha.gov.in
22. https://www.drishtiias.com

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation